उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 36 /2021/ 2478/92-2-2021-97एम/2019

लखनऊः दिनांक अगस्त, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

पी0आई0यू0 मेरठ में कार्यरत रहने के दौरान वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज संख्या-यूपी 5263 के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग एम0आर0एल0-04-अटेर्ना से मिलक (नहर पटरी) वाया कुलंजन का नेशनल क्वालिटी मानीटर (एन0क्यू0एम0) के निरीक्षण दिनांक 17.01.2018 एवं स्टेट क्वालिटी मानीटर (एस0क्यू0एम0) के निरीक्षण दिनांक 24.12.2017 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 24/2020/246/92-2-2020-97एम/2019 दिनांक 22.01.2020 द्वारा श्री सुधीश कुमार त्यागी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू- मेरठ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में अपचारी अधिकारी श्री सुधीश कुमार त्यागी के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप श्री त्यागी के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 68/2020/932/92-2-2020-97एम/2019 दिनांक 27.05.2020 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए में परिवर्तित किया गया।

2- जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 01 आरोप की जांच कर अपने पत्रांक- सी-165/ग्रा0अ0वि0/ अनु0जांच- बु0शहर-110/2019-20 दिनांक 02.05.2020 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप आंशिक रूप सिद्ध पाये जाने की दशा में शासन के पत्र संख्या-1044/92-2-2020-97एम/2019 दिनांक 27.05.2020 द्वारा श्री त्यागी से अभ्यावेदन मांगा गया, जिसके क्रम में श्री त्यागी द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 02.07.2020 उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्य में एनक्यूएम द्वारा दिये गये "यू" श्रेणी के कारकों/कारणों को रेक्टीफाई कराया गया तथा एसक्यूएम द्वारा दिनांक 26.04.2018 को किये गये निरीक्षण में समस्त मदों में संतोषजनक श्रेणी (एस) दी गयी। अतएव वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुधीश कुमार त्यागी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पी0आई0यू0- मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 24/2020/246/92-2-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2020-97एम/2019 दिनांक 22.01.2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 36 /2021/ 2478 (1)/92-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री सुधीश कुमार त्यागी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू-मेरठ, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।